बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/154/2020- 68

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 02/02/2024

विषय– श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या–251, प्लॉट संख्या–372, थाना–सुलतानगंज में NH-80 (अकबरनगर–सुलतानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/50993/2020/1332, दिनांक 14.08.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 31.10.2023 एवं दिनांक 24.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 14.08.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (280 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 280 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 17,94,213.00 (रू० सतरह लाख चौरानवे हजार दो सौ तेरह) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506219950993212 एवं Account No.- 1506219950993864, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर क्रमशः दिनांक 05.10.2023 एवं दिनांक 08.11.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका क्रमशः UTR No.- SBINR52023100575982492 एवं UTR No.- SBIN523312398108 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.021 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.021 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 20,113/– (बीस हजार एक सौ तेरह रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506219950993212 एवं BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर क्रमशः दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका क्रमशः UTR No.- SBINR52023100575982492 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	The State Govt. shall charge penal Net Present Value (NPV) for violation which is equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Penal NPV के रूप में NPV मद में आकलित राशि रू. 20,113/– का दोगुणा अर्थात रू. 40,226/– तथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि रू. 4,827/– अर्थात कुल रू. 45,053/– (पैतालीस हजार तिरपन रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506219950993212 एवं BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर क्रमशः दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका क्रमशः UTR No.- SBINR52023100575982492 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal ……..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.10.2023 एवं दिनांक 08.11.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall	जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 280 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall ………..	280 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।

4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency ……….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be ………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under …………….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ……	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.021 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/154/2020- 68 दिनांक– 02/02/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर एवं श्री सुमित कुमार, पिता–श्री मनोहर पासवान, अकबरनगर पुलिस स्टेशन के पास, सुलतानगंज, जिला–भागलपुर, पिन–813223 को सूचना हेतु प्रेषित।

2/2/24

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of Regional Office</td><td>Eastern Region, Ranchi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates</td><td>Bihar/Bhagalpur/ Bhagalpur Forest Division, Bhagalpur.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name of User Agency nature of proposal</td><td>Shree Sumit Kumar / BPCL Retail Outlet</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Extent of forest area involved</td><td>0.021 Ha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Whether Original, or extension</td><td>Original</td></tr>
<tr><td>6</td><td>If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date of 1st stage Clearance</td><td>14.08.2023</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Extent of CAMPA charges head wise viz.</td></tr>
<tr><td></td><td>a.Compensatory Afforestation</td><td>17,94,213.00</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Additional CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>C. Penal NPV</td><td>45,053.00</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Catchment Area Treatment</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Wildlife Management Plan</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Net present Value</td><td>20,113.00</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Any other charges/Levies (Pl Specify)</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph</td><td>
<table>
<tr><td>S.No</td><td>MODE Remtt.</td><td>UTR No. & Date</td><td>Amount</td><td>Head</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">e-challan</td><td rowspan="3">SBINR52023100575982492 & SBIN523312398108 dt. 05.10.2023 & dt. 08.11.2023</td><td>17,94,213/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20,113/-</td><td>NPV</td></tr>
<tr><td>3</td><td>45,053/-</td><td>Penal NPV</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total-</td><td>18,59,379/-</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance</td><td>As above.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bank in which deposited, with date of deposition.</td><td>All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 05.10.2023 & dt. 08.11.2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Any other remarks</td><td></td></tr>
</table>

2/2/24

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

76

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 24/01/2024

विषय– श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या–251, प्लॉट संख्या–372, थाना–सुलतानगंज में NH-80 (अकबरनगर– सुलतानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक FC/154/2020-803 दिनांक 07.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित अन्तर कि राशि वर्त्तमान मजदूरी दर रू0 395/– प्रतिमानव दिवस पर रू0 14,817/– (रूपये चौदह हजार आठ सौ सतरह मात्र) का मांग किया गया था जो दिनांक 08.11.2023 को कैम्पा लेखा में जमा करा दिया गया है जिसका UTR No. SBIN523312398108 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

इस प्रकार मेरे द्वारा मांग की गयी राशि कैम्पा लेखा में जमा करा दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

सुमित कुमार

सुमित कुमार,
पिता–श्री मनोहर पासवान,
अकबरनगर पुलिस स्टेशन के पास
सुलतानगंज जिला–भागलपुर 813223

56
24/01/2024

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-11-2023

Agency Name.	SUMIT KUMAR
Application No.	19950993864
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50993/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Sri Manohar Paswan, Near Police Station Akbarnagar, Sultanganj Bhagalpur
Amount(in Rs)	14817/-

Amount in Words Fourteen Thousand Eight Hundred and Seventeen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219950993864 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-11-2023

Agency Name.	SUMIT KUMAR
Application No.	19950993864
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50993/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Sri Manohar Paswan, Near Police Station Akbarnagar, Sultanganj Bhagalpur
Amount(in Rs)	14817/-

Amount in Words Fourteen Thousand Eight Hundred and Seventeen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219950993864 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0503710@unionbankofindia.bank

Print

UTR No.-SBIN523312398108

SBIN523312398108

75

कार्यालय ... प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 956
दिनांक 01/11/2023
(कैम्पा एवं वन संरक्षण प्रभाग)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 31/10/2023

विषय: श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या–251, प्लॉट संख्या–372, थाना–सुलतानगंज में NH-80 (अकबरनगर– सुलतानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक FC/154/2020-599 दिनांक 24.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक [illegible]/50993/2020/1332, दिनांक 14.08.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग–A में 1 से 7 एवं भाग–B में 1 से 09 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत समर्पित कर रहा हूँ

भाग–A

हरितावरण को बनाये रखने हेतु 280 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 17,79,396/– मात्र को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023100575982492 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.021 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 20,113/– मात्र को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023100575982492 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3 Penal NPV के रूप में NPV मद में आकलित राशि रू0 20,113/– का दोगुणा अर्थात 40,226/– तथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि रू0 4,827/– अर्थात कुल राशि रू0 45,053/– मात्र को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023100575982492 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

... प्रमाण पत्र की छायाप्रति इस

(71)

6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा है।

7. मेरे द्वारा सभी शर्तें का Compliance report, Ministry के Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग–B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।

2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 280 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 17,79,396/– मात्र को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.10.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52023100575982492 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करूंगा

4. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

7. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8 (a) इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तें का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

सुमित कुमार,
पिता–श्री मनोहर पासवान,
अकबरनगर पुलिस स्टेशन के पास
सुलतानगंज जिला–भागलपुर 813223

(70)

04/10/2023, 13:07

SBINR52023100575982492

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-10-2023

Agency Name.	SUMIT KUMAR
Application No.	19950993212
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50993/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Sri Manohar Paswan, Near Police Station Akbarnagar, SultanganjBhagalpur
Amount(in Rs)	1844562/-

Amount in Words: Eighteen Lakh Forty-Four Thousand Five Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15062199509993212 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment througl
even after 7 working days, then kindly mail a cop
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epu
ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBI ... CITY BR. 0152 PF 834629

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

69

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर

सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन – 812003

दूरभाष सख्या : 0641 2611032, ई-मेल - divfobhagalpur-bih@nic.in, dfbhagalpur@gmail.com

पत्रांक : - ......637......   भागलपुर, दिनांक : - ...12.. / ...05.. / 2022

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा०व०से०"
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
सह - नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना |

विषय :- FRA 2006 प्रमाण - पत्र के सबंध में |

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक - 1826, दिनांक - 02/05/2022 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी श्री सुमित कुमार, मौजा - नासोपुर, थाना - सुल्तानगंज, थाना सं० - 07, खाता सं० - 251, खेसरा / प्लॉट नं० - 372, हे० - 0.021, अंचल - सुल्तानगंज, जिला - भागलपुर द्वारा BPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण से संबंधित FRA 2006 प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है | उक्त प्रमाण - पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है |

अनु०: - यथोक्त |

विश्वासभाजन
12/5/22

(भरत चिन्तपल्लि)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

68

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA 2006 प्रमाण–पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या........................दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री सुमित कुमार, मौजा–नासोपुर, थाना–सुल्तानगंज, थाना सं0–07, खाता सं0–251, खेसरा/प्लॉट नं0–372, हे0–0.021, अंचल–सुल्तानगंज, जिला–भागलपुर द्वारा BPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–516 दिनांक–26.06.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक–1665/सा0, दिनांक–02.05.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक–293 दिनांक–30.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है।

Bably 04/05/22

तदआलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

674 7/5/22

जिलाधिकारी,
भागलपुर।

7/5/22

ज्ञापांक 1826 /सा0, भागलपुर, दिनांक 02/05/2022

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

02/05/22

जिलाधिकारी,
भागलपुर।

67

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 प्रमाण–पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1826 दिनांक 02.05.2022

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री सुमित कुमार, मौजा–नासोपुर, थाना–सुल्तानगंज, थाना सं0–07, खाता सं0–251, खेसरा/प्लॉट नं0–372, हे0–0.021, अंचल–सुल्तानगंज, जिला–भागलपुर द्वारा BPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–516 दिनांक–26.06.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक–1665/सा0, दिनांक–02.05.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक–293 दिनांक–30.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है।

तदआलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

02/05/2

जिलाधिकारी,
भागलपुर।